**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1655

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियां**

**1655. डा॰ वी॰ मैत्रेयनः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु के केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को भरने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सी॰यू॰टी॰एन॰) में शिक्षण पदों की रिक्तियों को भरने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। यूजीसी विश्‍वविद्यालयों के साथ इसकी निरंतर निगरानी करता है। तथापि, तमिलनाडु केंद्रीय विश्‍वविद्यालय सहित रिक्‍त पड़े पदों के भरने का दायित्‍व केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों का है जो संसद अधिनियम के तहत स्‍थापित स्‍वायत्‍त निकाय हैं।

(ग): तमिलनाडु केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के संबंध में विश्‍वविद्यालय ने दिसंबर, 2017, अप्रैल, 2018 और जून, 2018 में पद विज्ञापित किए हैं। यूजीसी ने 27 फरवरी, 2018 को सभी केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों (सीयू) के कुलपतियों को एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया था जिसमें पदों के विज्ञापन के लिए समय-सीमा, आवेदनों की जांच, साक्षात्‍कार के लिए आमंत्रण, उम्‍मीदवारों का चयन/नियुक्ति आदि की समय-सीमा सूचित हो। तथापि, जुलाई, 2018 में यूजीसी ने न्‍यायालय निर्णय के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आस्‍थगित करने के लिए सभी सीयू को जुलाई, 2018 में पत्र लिखा था।

(घ): इस समय, तमिलनाडु में केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों की संख्‍या में वृद्धि करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

**\*\*\*\*\***